

## बाघ आरक्षित क्षेत्र में जाने के लिए दिशानिर्देश

### 1. आगमन

- आगंतुकों को सफारी समय से कम से कम 45 मिनट पहले पहुंचना होगा।

### 2. प्रवेश की आवश्यकताएँ

- बाघ आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले एक अनुमति प्राप्त करें।
- प्रवेश अनुमति हस्तांतरणीय नहीं है और नियमों का उल्लंघन करने पर कभी भी रद्द की जा सकती है।

### 3. सुरक्षा और व्यवहार

- आरक्षित क्षेत्र में आग्नेयास्त्रों या विस्फोटकों के साथ प्रवेश न करें।
- वन अग्नि को रोकने के लिए धूम्रपान और माचिस या लाइटर लाना प्रतिबंधित है।
- यात्राओं के दौरान चुप्पी और अनुशासन बनाए रखें।
- ट्रांज़िस्टर या टेप रिकॉर्डर न लाएँ।

### 4. ड्राइविंग और मार्गदर्शन

- धीमी गति से चलाएँ, अनुशंसित गति 20 किमी/घंटा है।
- हॉर्न बजाने से बचें।
- हमेशा एक आधिकारिक गाइड के साथ जाएँ और उनकी निर्देशों का पालन करें।
- गाइड द्वारा निर्देशित किए बिना वाहन से बाहर न निकलें।

### 5. वन्यजीवों का सम्मान

- हमेशा पीने का पानी ले जाएँ।
- वन्यजीवों का पीछा या छेड़खानी न करें; उन्हें रास्ते का अधिकार है।
- कचरा (जैसे कैन, बोतलें और प्लास्टिक बैग) फेंकना प्रतिबंधित है।
- किसी भी वन संपत्ति को न हटाएँ।

### 6. अनुपालन

- आगंतुकों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ-साथ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा जारी सभी संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है।
- इन नियमों का उल्लंघन करने पर आरक्षित क्षेत्र से तुरंत निष्कासन और संभावित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

